राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 139,140,141 व 142/2014 जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इंग्राम माईको इण्डिया लिमिटैड,जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** उपरोक्त चारों विविध प्रार्थना–पत्र विभाग ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1554, 1555, 1556 व 1557/2014 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 10.09.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेशों से प्रकरणों में बकाया वसूली राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे। विभाग की ओर से कथन किया गया कि अपीलों में टेबलेट की कर दर निर्धारण सम्बन्धी विधिक बिन्दु विंवादित है,जिसके निस्तारण हेतु प्रकरणों का विस्तृत रूप से अध्ययन व परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिसमें समय लगना संभावित है। अतः उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड द्वारा दी गई अवधि में तीन माह की वृद्धि करने का निवेदन किया गया है। व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा उपरोक्त विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरणों के निस्तारण की अवधि छः माह बढाने का निवेदन किया गया है,जिससे सहमति व्यक्त करते हुए छः माह की अवधि बढाने का निवेदन किया गया। विभाग की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद व व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री मोती कोटवानीं की बहस सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विविध प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा अपील संख्या 1554, 1555, 1556 व 1557/2014 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 10.09.2014 में दिये गये स्थगन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर इस आदेश की प्राप्ति से दो माह की अवधि बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि तक समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश दिनांक 10.09.2014 से स्थगित राशियां नियमानुसार वसूलनीय होंगी।	

इस आदेश की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

विभाग की ओर से प्रस्तुत चारों विविध प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष